न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ. वीना प्रधान आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या (2020/00924) जिला–नागौर

1. हरिराम पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट निवास ग्राम लाम्पोलाई तहसील मेडता जिला नागौर ।
2. भदूराम पुत्र श्री हेमाराम जाति जाट निवास ग्राम लाम्पोलाई तहसील मेडता हाल निवासी लूंगिया सगराम जाति जाट तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
3. राकेश जाखड़ पुत्र श्री पेमाराम जाखड़।
4. सुमन जाखड़ पत्नि श्री राकेश जाखड़
   जाति जाट समस्त निवासी धर्म नारायण का हत्था सीप हाउस रोड़ कायमखानी हॉस्टल के सामने जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. आशाराम पुत्र गोपालराम।
2. तुलछाराम पुत्र हरदीनराम।
   जाति जाट निवास ग्राम लाम्पोलाई तहसील मेडता जिला नागौर ।
3. पटवारी हल्का लाम्पोलाई, तहसील मेड़ता जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी दिनांक 26–11–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 में बउनवान आशाराम बनाम तहसीलदार रियांबड़ी पारित किया गया

———

उपस्थित–
1. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत, भवानी सिंह रावत, घनश्याम सिंह रावत व भवानी सिंह शेखावत अभिभाषकगण प्रत्य.सं 1 व 2
3. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्य. सं–3 व 4

निर्णय

दिनांक :– 03-11-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 ने अपीलार्थीगण व शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी मे धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

Scanned with CamScanner

किया कि मौजा ग्राम थाट की सरहद में पुराना खसरा नं0 186 जिसका वर्तमान खसरा नं0 291 अंकित है जिसका खातेदार प्रत्यर्थी सं0 1 आशाराम है। उक्त खसरा के चिपते पुराने खसरा नं0 187 जिसके वर्तमान खसरा नं0 297 है। उक्त खेतों के पूरब में एक रास्ता गलत सेटलमेंट के समय से ही खसरा नं0 106 जिसके वर्तमान खसरा नं0 289 है जो ग्राम थाट की सीमा से वर्तमान खसरा नं0 239 गैर मुमकिन गोचर से होकर पुराने खसरा नं0 886 जिसके नये खसरा नं0 1607 व 1649 के बीच होता हुआ खसरा नं0 867 में से होकर मुख्य सड़क अजमेर मेडता को क्रॉस करते हुये वापस ग्राम थाट की सहरद में पुराना खसरा नं0 23 के पूर्व में यह रास्ता निकलता है जो अरनियाला जाता है जिसके पुराने खसरा नं0 24 है। वर्तमान सेटलमेंट के खसरा नं0 29 अंकित है। उक्त रास्ता ग्राम थाट की सीमा में होते हुआ मुख्य सडक मार्ग अजमेर मेडता को क्रॉस करते हुये ग्राम लाम्पोलाई के पुराने खसरा नं0 867 व 886 के बीच में होता हुआ पुनः ग्राम थाट की सरहद में होकर ग्राम थाट में जाता है और अपीलार्थी सं0 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 1608 में 1/2 हिस्सा अपीलार्थीगण सं0 3 व 4 को बेचान किया जिन्होने उक्त रास्ते को पाली व पत्थर देकर रोक दिया है। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन कर चाहा गया कि ग्राम लाम्पोलाई, तहसील रियांबडी जिला नागौर की सरहद में स्थित खसरा नं0 1649 व 1607 के बीच की माठ से लेकर अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1607 की पूर्वी कोने तक उपरोक्तानुसार रास्ते का अंकन राजस्व नक्शे में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा प्रकरण में एकतरफा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय दिनांक 26.11.2009 से धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। अतः उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26.11.2019 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस मियाद प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही प्रस्तुत अपील, खारिज योग्य बताई। अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2019 में अपीलार्थीगण की बिना सुनवाई करे ही निर्णय पारित होने से निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं हो सकी। अपीलाधीन निर्णय बाबत पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी सं0 1 को दिनांक 08.08.2020 को सूचित किया जिसके पश्चात जानकारी होने पर राजस्व अभिलेख व निर्णय की दिनांक 11.08.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर जरिये अभिभाषक अपील प्रस्तुत की गई। जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को क्षमा कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अन्दर मियाद शुमार करते हुये इसे स्वीकार कर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावे।

Scanned with CamScanner

प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल यह देखेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद है या नही। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनन मयाद बाहर बेबुनियाद होने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद नहीं होने से मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक की बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

बहस दौराने अपील अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी के खसरा नं0 291 व 297 के आस पास भी अपीलार्थीगण के खसरा नं. की भूमि नहीं है। अपीलार्थीगण के खसरा नं0 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1607 में भी कभी भी आज दिनांक तक रास्ता मौजूद नहीं रहा है। उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर व अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2019 पारित किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार रियाबांडी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 19.07.2019 अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में तैयार की गई जबकि इसी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिनांक 26.11.2019 पारित किया गया है जो प्रारम्भ से तथ्यों, साक्ष्य व राजस्व रेकार्ड के विपरित होने से निरस्तनीय है। ग्राम लाम्पोलाई, तहसील रियांबडी जिला नागौर के पुराने खसरा नम्बर 867, 886 में दर्शाये गये डोटेडलाईन रास्ता को नये खसरा नम्बर 1608, 2023/1608 व 1607 की पूर्वी माठ पर दर्शाया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में अंकित किये जाने के उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 राजस्व रेकार्ड में अंकन कराकर मौके पर रास्ता निकालने को आतुर है जिस हेतु ही उनके द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड़ अधिकारी रियाबड़ी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त धारा में रास्ता प्रदान किये जाने व रास्ता खुलवाने का प्रावधान ही नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के तहत पूर्ववत राजस्व रेकार्ड जिसमे लिपिकीय अशुद्धि हो उसे ही दुरूस्त किया जा

Scanned with CamScanner

सकता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं होने के बावजूद भी आक्षेपित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध, दोषयुक्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–11–2019 को अपास्त किया जावे।

उपस्थित रेस्पो0 सं0 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थाट की सरहद में पुराना खसरा नं0 186 जिसका वर्तमान खसरा नं0 291 अंकित है जिसका खातेदार प्रत्यर्थी सं0 1 आशाराम है। उक्त खसरा के चिपते पुराने खसरा नं0 187 जिसके वर्तमान खसरा नं0 297 है। उक्त खेतों के पूरब में एक रास्ता प्रथम सेटलमेंट के समय से ही खसरा नं0 106 जिसके वर्तमान खसरा नं0 289 है जो ग्राम थाट की सीमा से वर्तमान खसरा नं0 239 गैर मुमकिन गोचर से होकर पुराने खसरा नं0 886 जिसके नये खसरा नं0 1607 व 1649 के बीच होता हुआ खसरा नं0 867 में से होकर मुख्य सड़क अजमेर मेडता को क्रॉस करते हुये वापस ग्राम थाट की सहरद में पुराना खसरा नं0 23 के पूर्व में यह रास्ता निकलता है जो अरनियाला जाता है ओर जिसके पुराने खसरा नं0 24 है तथा वर्तमान सेटलमेंट के खसरा नं0 29 अंकित है। यह रास्ता ग्राम थाट की सीमा में होते हुआ मुख्य सडक मार्ग अजमेर मेडता को क्रॉस करते हुये ग्राम लाम्पोलाई के पुराने खसरा नं0 867 व 886 के बीच में होता हुआ पुनः ग्राम थाट की सरहद में होकर ग्राम थाट में जाता है और अपीलार्थी सं0 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 1608 में 1/2 हिस्सा अपीलार्थीगण सं0 3 व 4 को बेचान किया जिन्होने उक्त रास्ते को पाली देकर व पत्थर लगाकर रोक दिया है जबकि इसके आगे खसरा नं0 1607 व 1649 के बीच में रास्ता आज दिन भी मौके पर मौजूद है। वर्तमान सेटलमेट में पुराना खसरा नं0 24 जो लाम्पोलाई की सीमा से होकर ग्राम थाट की सरहद में से होकर आता है जिसके नये खसरा नं 29 है जो अभी वर्तमान सेटलमेंट नक्शे में अंकित है परन्तु उक्त रास्ता वापस मुख्य सड़क मार्ग एवं नहर को क्रोस करते हुये ग्राम लाम्पोलाई की सरहद में खसरा नं0 1611 व 1608 में से बेचान किया गया जिसके नये नम्बर 2023/1608 अंकित है एवं खसरा नं0 2003/1608 व खसरा नं0 1608 के खसरे से होता हुआ हुआ खसरा नं0 1649 की पूरबी माठ व खसरा नं0 1607 की पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे होता हुआ ग्राम थाट की सरहद मेंखसरा नं0 239 से होता हुआ प्रत्यर्थी सं0 1व 2 के खेत खसरा नं0 291, 297, 298 की पूर्वी माठ के सहारे होकर ग्राम थाट तक पहुंचता है जो मौके पर मौजूद है एवं ग्राम थाट के महानरेगा के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण खसरा नम्बर 291 की सरहद तक पूर्ण की जा चुकी है उक्त रास्ता के नये खसरा नं0 289 अंकित है, परन्तु वर्तमान सैटलमेंट में खसरा नं0 289 रास्ता को आगे खसरा नं0 1607 व 1649 के बीच माठ से होता हुआ, खसरा नं0 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1611 में अंकित नहीं करने से उक्त रास्ता अपूर्ण हो गया है जिसे लोगो के आने जाने में भारी कठिनाई हो गयी है जबकि प्रथम सेटलमेंट के समय से उक्त रास्ता मौजूद है जिसके ग्राम अरनियाला से होकर थाट की तरफ आने वाले उक्त रास्ता के अजमेर–मेडता सडक तक पुराने खसरा नं0 24 अंकित है जो ग्राम लाम्पोलाई के पुराने खसरा नं0 867 व 886 के बीच में से होकर गुजरता

Scanned with CamScanner

हुआ दर्शाया गया है जो नक्शे में दर्शित है जो आगे पुनः मौजा थाट की सरहद में जाने पर उसके नये खसरा नं0 106 है जो प्रथम सेटलमेंट के समय मौजूद है इस प्रकार वर्तमान सेटलमेंट में ग्राम थाट से अरनियाला जाने वाले उक्त रास्ता खसरा नं0 291 के सहारे सहारे ग्राम लाम्पोलाई की सरहद तक दर्शित है जिसके खसरा नं0 289 है व आगे मुख्य सड़क अजमेर मेडता को क्रॉस करते हुये वापस ग्राम थाट की सहरद में पुराना खसरा नं0 29 से उक्त रास्ता दर्शित किया हुआ है परन्तु ग्राम लाम्पोलाई के खसरा नं0 1607 व 1649 के बीच माठ के सहारे सहारे से होता हुआ, खसरा नं0 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1611 के पूरबी कोने से होकर जाता है जिसको नहीं दर्शाया गया है उसके आगे पुनः ग्राम थाट की सरहद में दर्शित है इस प्रकार वर्तमान सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ते को दर्शित नहीं किया जबकि प्रथम सेटलमेंट से लेकर आज दिनांक तक उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है वर्तमान सेटलमेंट के द्वारा खसरा नं0 1649 व 1607 के बीच माठ से लेकर खसरा नं0 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1611 के पूरबी कोने तक उक्त रास्ते को दर्शित नहीं किया है जिससे ग्रामवासी थाट व लाम्पोलाई के लोगो को आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण खसरा नं0 291 की सीमा तक ही करवाया गया तथा आगे उन्होने नक्शें में रास्ता दर्शित नहीं होने से बन्द कर दिया जबकि उक्त रास्ता प्रथम सेटलमेंट के पूर्व से ही ग्राम थाट से अरनियाला आने जाने का रास्ता है। ग्राम लाम्पोलाई के खसरा नं0 1649 व 1607 के बीच माठ से लेकर खसरा नं0 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1611 के पूरबी कोने तक उक्त रास्ते को दर्शित नहीं किये जाने से दुरूस्त कराने का धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र उपखण्ड़ अधिकारी रियाबड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार रियाबड़ी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायोचित आदेश प्रदान किया है। अतः अपीलार्थीगण के विधि विरूद्ध कृत्यो के कारण तथा रास्ते को अवरूद्ध करने के कारण ग्राम थाट से लाम्पोलाई की सीमा में होते हुये हुए अरनियाला, बग्गड़ की सीमा में पुख्ता रास्ता जो ग्राम रलियावता, बेड़ास, खेड़ा, किशनपुरा में जाने का रास्ता भी है अवरूद्ध हो रखा है ग्राम लाम्पोलाई और थाट का पुख्ता रास्ता जो कि पुराने खसरा नम्बर 867, 886 में दर्शाये गये डोटेडलाईन रास्ता को नये खसरा नम्बर 1608, 2023/1608 व 1607 की पूर्वी माठ पर दर्शाया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में शुद्धि किया जाना न्यायोचित होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–11–2019 विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया है जो न्यायोचित है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सेटलमेंट के समय से उक्त रास्ता मौजूद है जिसके ग्राम अरनियाला से होकर थाट की तरफ आने वाले उक्त रास्ता के अजमेर–मेडता सडक तक पुराने खसरा नं0 24 अंकित है जो ग्राम लाम्पोलाई के पुराने खसरा नं0 867 व 886 के बीच में से होकर गुजरता हुआ दर्शाया गया

Scanned with CamScanner

है जो नक्शे में दर्शित है जो आगे पुनः मौजा थाट की सरहद में जाने पर उसके नये खसरा नं0 106 है जो प्रथम सेटलमेंट के समय मौजूद है इस प्रकार वर्तमान सेटलमेंट में ग्राम थाट से अरनियाला जाने वाले उक्त रास्ता खसरा नं0 291 के सहारे सहारे ग्राम लाम्पोलाई की सरहद तक दर्शित है जिसके खसरा नं0 289 है व आगे मुख्य सड़क अजमेर मेडता को क्रॉस करते हुये वापस ग्राम थाट की सहरद में पुराना खसरा नं0 29 से उक्त रास्ता दर्शित किया हुआ है परन्तु ग्राम लाम्पोलाई के खसरा नं0 1607 व 1649 के बीच माठ के सहारे सहारे से होता हुआ, खसरा नं0 1608, 2023/1608, 2003/1608 व 1611 के पूरबी कोने से होकर जाता है जिसको नहीं दर्शाया गया है उसके आगे पुनः ग्राम थाट की सरहद में दर्शित है इस प्रकार वर्तमान सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ते को दर्शित नहीं किया जबकि प्रथम सेटलमेंट से लेकर आज दिनांक तक उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है। रास्ते को दर्शित नहीं किये जाने से दुरूस्त कराने का धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र उपखण्ड़ अधिकारी रियाबड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार रियाबड़ी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायोचित आदेश प्रदान किया है।

भूप्रबन्ध विभाग द्वारा मौजा लाम्पोलाई के पुराने खसरा नं0 867 व 886 के बीच में डोट़ेड लाईन रास्ते को नये खसरा नम्बर 1608, 1607 व 1649 में डोटेड लाईन से नहीं दर्शाया गया है जबकि मौके पर खसरा नं0 1649 के पूर्वी माठ पर मौके पर रास्ता है जो आगे चलकर ग्राम थाट के खसरा नम्बर 289 गै.मु.रास्ता में जाकर मिलता है। पुराने खसरा नम्बर 867, 886 में दर्शाये गये डोटेडलाईन रास्ता को नये खसरा नम्बर 1608, 2023/1608 व 1607 की पूर्वी माठ पर दर्शाया जाकर राजस्व रेकार्ड व नक्शे में शुद्धि किया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी रियाबड़ी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 से न्यायोचित आदेश प्रदान किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26. 11..2019 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 में बउनवान आशाराम बनाम तहसीलदार रियांबड़ी विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner